न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 103/2020

1 हरिनारायण आयु 49 वर्ष पुत्र मुरलीधर।
2 राधेश्याम आयु 44 वर्ष पुत्र मुरलीधर समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण सेवा की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामनारायण आयु 56 वर्ष पुत्र सूवालाल।
2 मनोहरलाल आयु 52 वर्ष पुत्र सूवालाल।
3 महेश कुमार आयु 43 वर्ष पुत्र सूवालाल।
4 चौथमल आयु 41 वर्ष पुत्र सूवालाल।
5 गजानन्द आयु 39 वर्ष पुत्र सूवालाल।
6 शंकरलाल आयु 41 वर्ष पुत्र छोटूराम।
7 कमलेश आयु 35 वर्ष पुत्र छोटूराम।
8 बजरंग आयु 43 वर्ष पुत्र भगवाना।
9 प्रेमराज आयु 37 वर्ष पुत्र भगवाना।
10 श्यामलाल आयु 30 वर्ष पुत्र भगवाना।
11 मधु पत्नी बनवारी आयु 66 वर्ष।
12 सीताराम आयु 37 वर्ष पुत्र बनवारी।
13 सुरेश आयु 30 वर्ष पुत्र बनवारी समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण सेवा की ढ़ाणी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
14 पटवारी पटवार हल्का निमेड़ा।
15 उप पंजीयक खण्डेला।
16 तहसीलदार खण्डेला जरिये भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955 विरूद्व आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) खण्डेला हरिनारायण
बनाम रामनारायण वगैरह मुकदमा नम्बर 46/2020
प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांकित 29.10.2020

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 21.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 46/2020 में पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम सेवा की ढ़ाणी पटवार हल्का निमेड़ा तहसील खण्डेला की भूमि खसरा नम्बर 357,399,400 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि भूमियां प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 के पूर्वज यानि दादा गोविन्दराम पुत्र ज्ञानीराम के नाम से खातेदारी चली आ रही थी। किन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 के दादा गोविन्दराम पुत्र ज्ञानीराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाति ब्राहम्ण की मृत्यु हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण सख्या 68 दिनांक 18.10.1969 को तत्कालीन पटवारी ने गोविन्दराम पुत्र ज्ञानीराम के मात्र चार पुत्रों के नाम भरकर पेश किया जबकि एक पुत्र मुरलीधर पुत्र गोविन्दराम का नाम सहवन से छूट गया जो कि उक्त नामान्तकरण संख्या 68 इन्ही चार पुत्रों के ही तत्कालीन सरंपच हरदेवाराम ग्राम पंचायत निमेड़ा ने दिनांक 15.11.1969 को तस्दीक करते हुये उक्त गलत नामान्तकरण संख्या 68 बिना जांच पड़ताल किये स्वीकृत कर दिया गया। जबकि उक्त कृषि भूमियों में गोविन्दराम पुत्र ज्ञानीराम के पुत्र मुरलीधर पुत्र गोविन्दराम का नाम सहवन से छूट गया जिसकी जानकारी मुरलीधर पुत्र के वारिसों अर्थात प्रार्थीगण को पूर्व में नही थी किन्तु प्रार्थीगण अपनी मौका पर बाहमी बंटवारा की हुई प्रार्थीगण के पूर्वज एंव प्रार्थीगण की कब्जा, काश्त की कृषि भूमियां पर किसान कार्ड बनवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तो प्रार्थीगण को उक्त गलत राजस्व रिकाड की जानकारी हुई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय न तो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का सही रूप से विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया तथा न ही विधिक स्थिति का इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन का अलग–अलग रूप से निस्तारण नहीं किया गया तथा न ही इस स्थिति की ओर ही गौर किया गया कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मुख्य उद्वेश्य ही वादग्रस्त संपदा को वेस्ट डेमेज एंव अलाईनेट होने से रोकना है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादग्रस्त सम्पदा को वेस्ट डेमेज एवं एलाईनेट करने का रेस्पोडेंट्स को लाईसेन्स दे दिया गया है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2009 (1) आर.जे. पेज 29 का न्यायिक दृष्टांत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट्स विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को इसकी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु रेस्पोडेंट के पक्ष में है। विचारण न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्यों का समग्र विवेचन कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण रेस्पोडेंट्स विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विधि अनुसार रिकार्डेड खातेदार को इसकी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग से पाबन्द नही किया जा सकता है। किन्तु पक्षकारो के हितो का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरान्त होना शेष है। पक्षकारो के मध्य वाद बाहुल्यता नही हो एवं विवादित भूमि खुर्द बुर्द नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष को भूमि खसरा नम्बर 357,399,400 वाके ग्राम सेवा की ढ़ाणी पटवार हल्का निमेड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर